

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पॉडेन्ट :-

गोरधनलाल गर्ग पुत्र श्री अमराराम गर्ग
उपखण्ड अधिकारी निवास के पिछे आदर्श
कॉलोनी सुमेरपुर जिला पाली

लोक सूचना अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
सुमेरपुर

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 42/2021

G.C.M.S. No. -2021/129

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
31/5/21	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सुमेरपुर ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पॉडेन्ट से सूचना उपलब्ध करवाई गई अथवा नहीं एवं नहीं करवाई गई तो क्या कारण रहे। तुरन्त अपीलांत को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाई जाकर प्रत्युत्तर प्रेषित करने हेतु पत्र लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 21/5/21 को पेश हो।</p>	<p>709-710 31514</p>
21-5-21	<p>पत्रावली काज पेश हुआ। लोक सूचना अधिकारी सुमेरपुर को पत्र वाते प्रत्युत्तर लिखकर हुकम किया जाकर पत्रावली दिनांक 18/6/21 को पेश हो।</p>	<p>830 2515121</p>
18/6/21	<p>पत्रावली काज पेश हुआ। लोक सूचना अधिकारी सुमेरपुर द्वारा जारी पत्रावली दिनांक 1-6-2021 के अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी है। अपीलार्थी को यह प्रत्युत्तर वाक्य अपना पक्ष रखना चाहिए। वह अपने स्वयं के स्वार्थ से उपरोक्त रख सकता है। इस कारण का कोरिपुजारी लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 13/7/21 को पेश हो।</p>	<p>951 2116121</p>
13/7/21	<p>पत्रावली काज पेश हुआ। अपीलांत स्वयं उपरोक्त अपीलार्थी के अधिनियम की धारा 19(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर) के के विरुद्ध पेश की गई है। इस न्यायालय द्वारा शिपों को केवल सूचना उपलब्ध कराते हुके पत्र लिखा जाते या उन्हें अपने फॉर्म 405 दि 10-6-2021 एवं पं 131-6-21 के सूचना उपलब्ध कराते हुके वाक्य लिखा जाकर</p>	<p>जिला कलेक्टर, पाली</p>



जिला कलेक्टर, पाली

हाजिर अदालत गोवर्धन लाल ने घोषित सूचा
 का प्रमुख पत्रोंक ग। लो. सू. अ. 2021/447
 दिनांक 1-6-21 प्राप्त होना स्वीकार किया लेकिन
 उसने कावेरुषी व्यक्त की लेकिन कारण नहीं बताया
 गया है सूचना का अवलोकन किया गया अपील
 को उपलब्ध सूचना लिखित में प्रेषित की गई है
 एवं असंतोष का कारण स्पष्ट नहीं किया है ऐसी
 स्थिति में अपील को सही संतुष्टि के सम्बन्ध
 में समझाते हुए इस अपील के संदर्भ में
 किसी प्रकार की कार्यवाही अद्यतित नहीं होना
 मानते हुए यह अपील ^{अधीन} स्तय निर्णित
 की जाती है

पत्रावली इस मामले से शुका
 कोसल की जाकर गण्य है कत हो।

↓
 जिला कलेक्टर, बाली